Office of
Chief Engineer
Commercial Unit

U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
14th floor, Shakti Bhawan Extn.
Lucknow-226001
Tel. No.- 0522-2288056
CIN :U31901UP1985SGC007135
E-mail: gm.commercial@uprvunl.org
cecommercialunl@gmail.com

पत्रांक– 276/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0 दिनांक : 06 जुलाई, 2026

मुख्य अभियन्ता (परियोजना प्रमुख),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज, जवाहरपुर
सोनभद्र, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, एटा।

विषय : मा0 विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए घोषित विद्युत रेट शिड्यूल दिनांक 12.07.2026 से लागू करने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु घोषित टैरिफ आदेश दिनांक 02.07.2026, तथा मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), उ0प्र0 पा0का0लि0 के पत्रांक 273/आर0ए0यू0/पब्लिक नोटिस, दिनांक 04.07.2026 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए रेट शिड्यूल दिनांक 12.07.2026 से लागू कर दिए गये हैं।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के उपरोक्त आदेशों को उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न हुई 179वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 84/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0, दिनांक 01, फरवरी, 2019 के तथा Electricity Act-2003 के The Electricity (Removal of difficulty) Fourth Order, 2005 जो उ0नि0लि0 के वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुपालन में उत्पादन निगम के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों तथा उनके स्पाउस एवं परियोजना कालोनी परिसर में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु पूर्व में किये गये ऐसे आदेशों की समानता में दिनांक **12.07.2026** से लागू किया जाता हैं।

स्पष्ट करना है कि निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार उत्पादन निगम के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों तथा उनके स्पाउस के लिए उ0प्र0पा0का0लि0 के समान विद्युत सुविधा प्राप्त है, जिसके अनुपालन में उत्पादन निगम के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों तथा उनके स्पाउस के लिए उ0प्र0पा0का0लि0 की समरूपता में 20 प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, फिक्स्ड चार्ज एवं इनेर्जी चार्ज धनराशि के योग पर ली जानी है। जबकि अन्य उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी केवल फिक्स्ड चार्ज पर ली जानी है।

कृपया तदानुसार उ0नि0लि0 के सेवारत कार्मिकों के वेतन से प्रतिमाह विद्युत शुल्क की कटौती सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनके स्पाउस एवं परियोजना के आवासीय परिसर के भीतर रह रहे गैरविभागीय विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क नियमानुसार जमा कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरोक्त।

06/07/2026
(संजय कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक– /उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0 दिनांक : , जुलाई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को संलग्नकों सहित उत्पादन निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
4. मुख्य प्रबन्धक (वित्त प्रबन्धन इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7वॉ तल, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।

(संजय कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

COMMERCIAL UNIT		U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक – 84/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 01, फरवरी , 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– उ0नि0लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस को पा0का0लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस की समरूपता मे उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क के सम्बन्ध में।

एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न हुई 179वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस की समरूपता में उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क के सम्बन्ध में इस कार्यालय के ज्ञापन सं0 03/ उनिलि/ मु0अभि0 (वाणिज्य) /एल0एम0वी0–10, दिनांक 04.01.2018, जो निम्न तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित है, में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं, जो निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में प्रतिस्थापित है, :–

क्रम सं0	निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 20.12.2017 को 173वीं बैठक में पारित प्रस्ताव/पूर्वनिहित व्यवस्था (स्तम्भ–1)	निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 07.01.2019 को 179वीं बैठक में पारित संशोधित प्रस्ताव/प्रतिस्थापित व्यवस्था (स्तम्भ 2)
1	उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत/ सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके विद्युत उपभोग के विरूद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान पूर्व की भॉति विद्युत सुविधा निदेशक मण्डल के अगले निर्णय तक अन्तरिम रूप से जारी रखी जाये।	उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके विद्युत उपभोग के विरूद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान पूर्व की भॉति विद्युत सुविधा निदेशक मण्डल के अगले निर्णय तक अन्तरिम रूप से जारी रखी जाये।
2	उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत कार्मिकों के मासिक वेतन से प्रतिमाह पूर्व की भॉति उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्मिकों के समतुल्य धनराशि समय–समय पर निर्धारित श्रेणीवार दर बीजक धनराशि के रूप में कटौती की जाये तथा उस धनराशि को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विवरण के साथ प्रेषित कर दिया जाये।	**उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत कार्मिकों के मासिक वेतन से प्रतिमाह पूर्व की भॉति उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्मिकों के समतुल्य धनराशि समय–समय पर निर्धारित श्रेणीवार दर बीजक धनराशि के रूप में कटौती की जाये तथा लखनऊ मुख्यालय अथवा अन्यत्र तैनात सेवारत कार्मिकों जहॉ विद्युत सप्लाई उ0प्र0पा0का0लि0 की सहायक डिस्ट्रीबूशन कम्पनियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है, के वेतन से काटी गयी धनराशि, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विवरण के साथ प्रेषित कर दिया जाये। जबकि उत्पादनरत विद्युत गृहों के कालोनी परिसर में जहॉ उ0नि0लि0 द्वारा अपनी सप्लाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, कटौती की गयी धनराशि उत्पादन निगम मुख्यालय को भेज दी जाये।**

COMMERCIAL UNIT		U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

3	(अ) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों से विद्युत शुल्क के मद में वसूली के दृष्टिगत उनसे प्रतिमाह उ0प्र0पा0का0लि0 के समतुल्य समय–समय पर निर्धारित श्रेणीवार धनराशि उनके पेंशन आदेश संख्या/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या/विद्युत संयोजन संख्या (यथायोज्य) के सापेक्ष उ0नि0लि0 के समस्त परियोजनाओं तथा लखनऊ मुख्यालय पर जमा कराकर सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को रसीद जारी की जाये तथा इस मद की धनराशि को विवरण के साथ पा0का0लि0 को प्रेषित कर दिया जाए। (ब) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस/पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर जो सीधे उ0प्र0पा0का0लि0 को विद्युत भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए विद्युत शुल्क जमा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारण हेतु पा0का0लि0 को अनुरोध किया जाता है कि वह पा0का0लि0 की भाँति उ0नि0लि0 के भी सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को विद्युत शुल्क जमा करने सम्बन्धी आदेश अपने स्तर से निर्गत करें।	(अ) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों से विद्युत शुल्क के मद में वसूली के दृष्टिगत उनसे प्रतिमाह उ0प्र0पा0का0लि0 के समतुल्य समय–समय पर निर्धारित श्रेणीवार धनराशि उनके पेंशन आदेश संख्या/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या/विद्युत संयोजन संख्या (यथायोज्य) के सापेक्ष उ0नि0लि0 के समस्त परियोजनाओं तथा लखनऊ मुख्यालय पर जमा कराकर सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को रसीद जारी की जाये तथा इस मद की धनराशि को विवरण के साथ पा0का0लि0 को प्रेषित कर दिया जाए। (ब) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस/पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर जो सीधे उ0प्र0पा0का0लि0 को विद्युत भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए विद्युत शुल्क जमा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारण हेतु पा0का0लि0 को अनुरोध किया जाता है कि वह पा0का0लि0 की भाँति उ0नि0लि0 के भी सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को विद्युत शुल्क जमा करने सम्बन्धी आदेश अपने स्तर से निर्गत करें।
4	वास्तविक विद्युत बिलिंग की धनराशि तथा उपरोक्तानुसार जमा धनराशि के गैप को उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 द्वारा प्रस्तुत विद्युत सप्लाई के बिल में से उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा समायोजित किया जायेगा।	**पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके स्पाउस, जिन्हे विद्युत सप्लाई उ0प्र0पा0का0लि0 की सहायक डिस्ट्रीबूशन कम्पनियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है, के दिनांक 01.01.2016 से वास्तविक विद्युत बिलिंग की धनराशि तथा उपरोक्तानुसार जमा धनराशि के गैप को उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा पूर्ण वितरण प्रेषित करने पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर बकाया धनराशि में से समायोजित किया जायेगा।**

COMMERCIAL UNIT

U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
14th floor, Shakti Bhawan Extn.
Lucknow-226001
Telephone No.- 0522-2287030/ 2288056
CIN :U40101UP1980SGC005065
E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

साथ ही निदेशक मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस वार्षिक अनापत्ति (No dues) प्रमाण पत्र सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड से प्राप्त करें।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

पत्रांक – 84/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 01, फरवरी , 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, 6 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

6. मुख्य अभियंता (परियोजना समन्वयक), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा,/हरदुआगंज/जवाहरपुर तापीय परियोजनायें, सोनभद्र/कानपुर/झॉसी/अलीगढ़/एटा।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन/ईंधन/आर0 एण्ड एम0/पी0पी0एम0एम0/पर्या0 एवं सुरक्षा/जानपद– नव परि0/मानव संसाधन/प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, 4 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 9 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को उ0नि0लि0 की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0/ समस्त डिस्काम, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0।
13. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

संलग्नक-2

THE ELECTRICITY (REMOVAL OF DIFFICULTY) FOURTH ORDER, 2005*

Whereas the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), came into force on the 10th June, 2003;

And whereas "generating station" has been defined in sub-section (30) of section 2 of the Act as any station for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switch yard, switch-gear, cables or other appurtenant equipment, if any used for that purpose and the site thereof, a site intended to be used for a generating station, and any building used for housing the operating staff of a generating station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station;

And whereas no licence is required for a generating company to establish, operate and maintain a generating station as per the provisions of the section 7 of the Act;

And whereas providing the housing to the operating staff of a generating station in the vicinity of the generating station is essential for operation and maintenance of the generating station and forms an integral part of the generating station;

And whereas difficulties have arisen regarding the requirement of licence for supplying power to the housing colonies or township housing the operating staff of the generating stations by the generating companies;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act, hereby makes this order in respect of supply of electricity by the generating companies to the housing colonies of its operating staff, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove difficulties, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This order may be called THE ELECTRICITY (REMOVAL OF DIFFICULTY) FOURTH ORDER, 2005.

(2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Supply of electricity by the generating companies to the housing colonies of its operating staff.**—The supply of electricity by a generating company to the housing colonies of, or township housing, the operating staff of its generating station will be deemed to be an integral part of its activity of generating electricity and the generating company shall not be required to obtain licence under this Act for such supply of electricity.

**Vide* S.O. 793(E), dated 8-6-2005, published in the Gazette of India, Ext., Pt. II, S. 3(*ii*), dated 8-6-2005.

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग –3

संख्याः 1845 / चौबीस–पी–3–2012

लखनऊः दिनांक 13 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्याः 02पी–3 / 97–24–85पी / 84, दिनांक– 03 जनवरी, 1997 का अधिक्रमण करके एवं सरकारी अधिसूचना सं0–232पी–3 / 98–24–85पी / 84, दिनांक– 06 फरवरी, 1998 द्वारा विद्युत के विभिन्न उपयोगों पर नियत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों में उपांतरण करके राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के दिनांक से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी निम्नलिखित दर से उदग्रहीत की जायेगीः–

क्रमांक	उपभोग का विवरण	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अवधारित दर (रेट चार्ज का मूल्य प्रतिशत में)
(एक)	आवासीय प्रकाश और पंखा के लिये	रेट चार्ज का 5 प्रतिशत
(दो)	राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त उनर्जी के लिए	रेट चार्ज का 5 प्रतिशत
(तीन)	मद (एक) और (दो) में उल्लिखित से भिन्न प्रयोजनों के लिएः (क) नियत प्रभार (फिक्सड चाजे) पर बिना मीटर लगे सम्भरण के लिय (ख) मीटर–लगे सम्भरण के लिये	 नियत प्रभार (फिक्सड चार्जे) का 20 प्रतिशत रेट चार्ज का 7.5 प्रतिशत
(चार)	वन पार्ट टैरिफ की दशा में जहाँ कि रेट चार्ज उपभोग के यूनिट पर आधारित हो, के लिए	9 पैसा प्रति यूनिट

आज्ञा से,

(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

निदेशक (आईटी) उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र संख्या - 6525 दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा दी गई सूचनानुसार **LMV – 10** उपभोक्ता श्रेणियों के सप्लाई टाइप और रेट लिस्ट ऑनलाइन निम्नवत जनरेट किये जा रहे है :–

Supply Type (ST)	Category	Fixed charges (A)	Fix Monthaly Charges (B)	Electricity Duty 20% Of A+B	Regulatory Charges stoped	Total
100	Class IV employees / operating staff	195.00	175.00	74.00		444.00
101	Class III Employees	205.00	245.00	90.00		540.00
103	Junior Engineer & Equvelent Post	280.00	460.00	148.00		888.00
104	Assistant Engineer & Equvelent post	305.00	605.00	182.00		1092.00
105	E.E. & Equvelent post	325.00	645.00	194.00		1164.00
106	S.E./ D.GM.& Equvelent post	595.00	760.00	271.00		1626.00
107	C.E. (I & II) G.M. & Above Post	650.00	880.00	306.00		1836.00
Per AC	AC Charges (April to September)		650.00			650.00

CHANDU LAL GAUR L- 0522 4046417 MOBILE - 9415767648

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

Regulatory Affairs Unit

15th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14-Ashok Marg, Lucknow 226001.
Phone: (0522) 2286519
Email: ce.rau@uppcl.org

रेगुलेटरी अफेयर्स इकाइ

15वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
दूरभाष : **(0522) 2286519**
Email: ce.rau@uppcl.org

पत्र सं०: 273/आर०ए०यू०/पब्लिक नोटिस

दिनांक: 04 जुलाई, 2026

निदेशक (आई०टी०),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
द्वितीय तल, शक्ति भवन,
लखनऊ।

Dy. No. 501 /UNL/ CE(Comml.)
Dated 4/7/2026

विषय: मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप वर्ष 2025-26 की ए०पी०आर० तथा वर्ष 2026-27 के सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ ओदश दिनांक 02.07.2026 (Uploaded on 02.07.2026 at UPERC website) द्वारा समस्त वितरण निगमों के लिये टैरिफ आदेश एवं वर्ष 2026-27 हेतु रेट शेड्यूल अनुमोदित कर दिया है। मा० आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी हेतु अनुमोदित दरों की सार्वजनिक सूचना दिनांक 05.07.2026 के प्रकाशनार्थ जन-सम्पर्क अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है जो प्रकाशन के 07 दिनों के पश्चात् लागू हो जायेगी। अनुमोदित रेट शेड्यूल एवं टैरिफ आदेश संलग्न हैं।

अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

Pankaj.

(पंकज सक्सेना)
मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य-प्रथम), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य-द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, पंचम तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 14वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

EE-I/II
04/07/2026
SE

EE(RA) AE
Letter to estimate all proceed. pls.
AE
4/7

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW
(A Govt. of UP Undertaking)

PUBLIC NOTICE

Pursuant to Section 64 of the Electricity Act 2003, the State Government owned Distribution Licensees namely Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited and Kanpur Electricity Supply Company Ltd. submitted their Petitions for Truing-Up for FY 2024-25, Annual Performance Review for FY 2025-26 and Aggregate Revenue Requirement for FY 2026-27 on 28 November, 2025 to Hon'ble UP Electricity Regulatory Commission. Thereafter, Hon'ble Commission admitted the aforementioned petitions by its order dated 06.02.2026.

Hon'ble U.P. Electricity Regulatory Commission has passed order on above Petition and approved rate scheduled for FY 2026-27. Tariff/Rate Schedule, as approved by Hon'ble Commission for FY 2026-27 is informed as under:-

CONSUMER CATEGORY / SUB-CATEGORY		**Approved Tariff for FY 2026-27**			
LMV-1	**DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER:**				
		Tariff Excluding Subsidy	**Subsidy**	**Cross Subsidy**	**Tariff Payable**
(a)	**Consumers getting supply as per "Rural Schedule" :**				
(1)	**Life Line Consumers: With contracted load of 1 kW, energy consumption upto 100 kWh/ Month**				
	Fixed Charge	Rs. 50 / kW / month	-	-	Rs. 50 / kW / month
	Energy Charge (0-100 Units)	Rs. 6.75 / kWh	Rs. 3.75 / kWh	-	Rs. 3.00 / kWh
(2)	**Other than Life Line Consumers:**				
	Metered:				
	Fixed Charge:	Rs. 90 / kW / month	-	-	Rs. 90/ kW/ month
	Energy Charge:				
	Upto 100 kWh / Month	Rs. 7.05 / kWh	Rs. 3.70 / kWh	-	Rs. 3.35 / kWh
	101-150 kWh /Month	Rs. 7.35 / kWh	Rs. 3.50 / kWh	-	Rs. 3.85 / kWh
	151-300 kWh /Month	Rs. 7.35 / kWh	-	Rs. 2.35 / kWh	Rs. 5.00 / kWh
	Above 300 kWh /Month	Rs. 7.35 / kWh	-	Rs. 1.85 / kWh	Rs. 5.50 / kWh
(b)	**Supply at single point for bulk loads**				
	Fixed Charge	Rs. 110 / kW / month			
	Energy Charge	Rs. 7.00 / kWh			
(c)	**Other Metered Domestic Consumers:**				
(1)	**Life Line Consumers: With contracted load of 1 kW, Energy consumption upto 100 kWh/ Month**				
	Fixed Charge	Rs. 50/ kW/month	-	-	Rs. 50/ kW/ month
	Energy Charge (0-100 Units)	Rs. 6.75 / kWh	Rs. 3.75 / kWh	-	Rs. 3.00 / kWh
(2)	**Others: Other than Lifeline consumers**				
	Fixed Charge	Rs.110 / kW / month	-		Rs.110 / kW / month

Cont:……2/-

	Energy Charge				
	Upto 100 kWh / Month	Rs. 7.35 / kWh	-	Rs. 1.85 / kWh	Rs. 5.50 / kWh
	101-150 kWh / Month	Rs. 7.35 / kWh	-	Rs. 1.85 / kWh	Rs. 5.50 / kWh
	151-300 kWh / Month	Rs. 7.35 / kWh	-	Rs. 1.35 / kWh	Rs. 6.00 / kWh
	Above 300 kWh /Month	Rs. 7.35 / kWh	-	Rs. 0.85 / kWh	Rs. 6.50 / kWh
LMV-2	**NON-DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER:**				
			Tariff Payable		
(a)	**Consumers getting supply as per "Rural Schedule"**				
	Fixed Charge		Rs. 110 / kW / month		
	Energy Charge		Rs. 5.50 / kWh		
(b)	**Other Consumers:**				
	Fixed Charge				
	Load upto 4 kW		Rs. 330 / kW / month		
	Above 4 kW		Rs. 450 / kW / month		
	Energy Charge				
	Load upto 4 kW				
	Upto 300 kWh / Month		Rs. 7.50 / kWh		
	Above 300 kWh / month		Rs. 8.40 / kWh		
	Above 4 kW				
	Upto 1000 kWh / Month		Rs. 7.50 / kWh		
	Above 1000 kWh / month		Rs. 8.75 / kWh		
	Minimum Charge		Rs. 600/kW/ Month (Apr to Sept) & Rs. 475/kW/Month (Oct to March)		
LMV-3	**PUBLIC LAMPS:**				
(a)	**Un-Metered Supply:**				
	Fixed Charge				
	Gram Panchayat		Rs. 2100 / kW or part thereof / month		
	Nagar Palika and Nagar Panchayat		Rs. 3200 / kW or part thereof / month		
	Nagar Nigam		Rs. 4200 / kW or part thereof / month		
(b)	**Metered Supply:**				
	Gram Panchayat		Rs. 200 / kW / month		
	Nagar Palika and Nagar Panchayat		Rs. 250 / kW / month		
	Nagar Nigam		Rs. 250 / kW / month		
	Energy Charge				
	Gram Panchayat		Rs. 7.50/ kWh		
	Nagar Palika and Nagar Panchayat		Rs. 8.00 / kWh		
	Nagar Nigam		Rs. 8.50 / kWh		
LMV-4	**LIGHT, FAN & POWER FOR PUBLIC & PRIVATE INSTITUTION:**				
(A)	**For Public Institutions:**				
	Fixed Charge		Rs. 300 / kW / Month		
	Energy Charge		Rs. 8.25/ kWh		
(B)	**For Private Institutions:**				
	Fixed Charge		Rs. 350 / kW / month		
	Energy Charge		Rs. 9.00 / kWh		

Cont:……3/-

LMV-5	**SMALL POWER FOR PRIVATE TUBE WELL/ PUMPING SETS FOR IRRIGATION PURPOSES:**				
	Tariff Excluding Subsidy		**Subsidy**	**Cross Subsidy**	**Tariff Payable**
(A)	**Consumers getting supply as per "Rural Schedule"**				
(i)	**Un-Metered Supply**				
	Fixed Charge	Rs.1005 / BHP / Month	Rs. 835 / BHP / Month	-	Rs.170 / BHP / Month
(ii)	**Metered Supply**				
	Fixed Charge	Rs. 905 / BHP / Month	Rs. 835 / BHP / Month	-	Rs. 70 / BHP / Month
	Energy Charge	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 4.50 / kWh	Rs. 2.00 / kWh
	Minimum Charge	Rs. 995 / BHP / Month	Rs. 835 / BHP / Month	-	Rs. 160 / BHP / Month
(iii)	**Energy Efficient Pumps**				
	Fixed Charge	Rs. 905 / BHP / Month	Rs. 835 / BHP / Month	-	Rs. 70 / BHP / Month
	Energy Charge	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 4.85 / kWh	Rs. 1.65 / kWh
	Minimum Charge	Rs. 975 / BHP / Month	Rs. 835 / BHP / Month	-	Rs. 140 / BHP / Month
(B)	**Consumers getting supply as per "Urban Schedule (Metered Supply)"**				
(i)	**Metered Supply**				
	Fixed Charge	Rs. 130 / BHP / Month	-	-	Rs. 130 / BHP / Month
	Energy Charge	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 0.50 / kWh	Rs. 6.00 / kWh
	Minimum Charge	Rs. 215 / BHP / Month	-	-	Rs. 215 / BHP / Month
	For PTW consumers of Bundelkhand Area located in Gram Sabha, the minimum amount payable by a consumer shall be Rs. 170 per BHP per month, till the installation of the meter. Regulatory Surcharge, Duty, Taxes etc. will be payable extra.				
LMV-6	**SMALL AND MEDIUM POWER:**				
(A)	**Consumers getting supply other than "Rural Schedule"**				
	BASE RATE				
	Fixed Charge		Rs. 290 / kW / Month		
	Energy Charge		Rs. 7.30/kWh		
	TOD Structure				
	Summer Months (April to September)				
	05:00 hrs-10:00 hrs		(-) 15%		
	10:00 hrs-19:00 hrs		0%		
	19:00 hrs-03:00 hrs		(+)15%		
	03:00 hrs-05:00 hrs		0%		
	Winter Months (October to March)				
	05:00 hrs-11:00 hrs		0%		
	11:00 hrs-17:00 hrs		0%		
	17:00 hrs-23:00 hrs		(+)15%		
	23:00 hrs-05:00 hrs		(-)15%		

Cont:……4/-

(B)	**Consumers getting supply as per "Rural Schedule"**	
	The consumers under this category shall be entitled to a rebate of 7.5% on 'BASE RATE (Excluding the TOD rates as applicable to the hour of operation)' as given for 'Consumers getting supply other than Rural Schedule'. Further, no "TOD RATE" shall be applicable for this category.	
LMV-7	**PUBLIC WATER WORKS:**	
(a)	**Consumers getting supply other than "Rural Schedule"**	
	Metered	
	Fixed Charge	Rs. 375 / kW / Month
	Energy Charge	Rs. 8.50 / kWh
(b)	**Consumers getting supply as per "Rural Schedule"**	
	The consumers under this category shall be entitled to a Rebate of 7.5% on 'RATE' as given for 'Consumer getting supply other than rural schedule'.	
LMV-8	**STATE TUBE WELLS/PANCHAYTI RAJ TUBE WELL & PUMPED CANALS:**	
	For all such consumers LMV-7 rate schedule will be applicable.	
LMV-9	**TEMPORARY SUPPLY:**	
(A)	**Un-Metered**	
	(i) Fixed Charges for Illumination / Public Address / ceremonies for loads upto 20 kW / connection plus Rs.100/ kW / day for each additional kW	Rs. 4750 per day
	(ii) Fixed charges for temporary shops set-up during festivals / melas or otherwise and having load up to 2 KW	Rs. 560 per day / shop
	(iii) PTW consumers of Bundelkhand Area having requirement of electricity only for the Rabi Crop i.e. period between November to February in any year.	Rs. 500/BHP/month
(B)	**Metered**	
	(i) Individual Residential Consumers	
	Fixed Charge	Rs 200/kW/Month
	Energy Charge	Rs. 8.00/kWh From 3rd year onwards: Base Tariff applicable for current year plus additional 10% of the applicable Energy Charge.
	(ii) Others	
	Fixed Charge	Rs 300/kW/Month
	Energy Charge	Rs 9.00/kWh From 3rd year onwards: Base Tariff applicable for current year plus additional 10% of the applicable Energy Charge.
	Minimum Charge:	Rs. 450 / kW /week
LMV-11	**ELECTRIC VEHICLE CHARGING**	
1.	**1. Consumers (LMV-1, LMV-2, LMV-4, LMV-6, LMV-9, HV-1, HV-2 and HV-3):**	
	a. Existing Connection: These consumer categories shall use their existing electricity connection to charge their EVs. b. Increased Load: If EV charging requires more power than the current sanctioned load, the consumer can apply to the Distribution Licensee for seeking increase in sanctioned load.	
2.	**EV Charging Station for Common Usage in Multistoried Buildings (Single-Point/ Multi-Point)**	
	Multistoried Buildings (LT)	Demand charge - Nil, Energy charge- Rs 6.20/kWh
	Multistoried Buildings (HT)	Demand charge - Nil, Energy charge- Rs 5.90/kWh

Cont:……5/-

3.	**Public Charging Stations, Battery as a Service (BaaS) installations including Battery Charging Stations & Battery Swapping Stations and State Road Transport EV Charging Stations**	
	EV Charging Station (LT)	Demand charge - Nil, Energy charge- Rs 7.70/kWh
	EV charging station (HT)	Demand charge - Nil, Energy charge- Rs 7.30/kWh
	TOD Structure and Rates for LMV-11 (3) Category:	
	Hours	**% of Energy Charges**
	00:00 hrs – 09:00 hrs	0
	09:00 hrs – 16:00 hrs	(-) 20%
	16:00 hrs – 24:00 hrs	0
	Penalty for exceeding contracted demand: For computation of charges for exceeding contracted demand, a charge of Rs. 150.00 / kVA / month for LT and Rs. 250.00 / kVA / month for HT only for the excess demand will be considered and the Clause 7(ii)(b) of General Provision will not be applicable here.	
HV-1	**NON-INDUSTRIAL BULK LOAD**	
(a)	**Commercial Loads / Private Institutions / Non-Domestic Bulk Power consumer with contracted Load 75 kW & above and getting supply at single point on 11 kV & above.**	
	Fixed Charges for Supply at 11 kV	Rs. 430 / kVA / month
	Energy Charge for Supply at 11 kV	Rs.8.32 / kVAh
	Fixed Charges for Supply above 11 kV	Rs. 400 / kVA / month
	Energy Charge for Supply above 11 kV	Rs. 8.12 / kVAh
(b)	**Public Institutions, Registered Societies, Residential Colonies / Townships, Residential Multi-Storied Buildings including Residential Multi-Storied Buildings with contracted load 75 kW & above and getting supply at Single Point on 11 kV & above voltage levels:**	
	Fixed Charges for Supply at 11 kV	Rs. 380 / kVA / month
	Energy Charge for Supply at 11 kV	Rs. 7.70 / kVAh
	Fixed Charges for Supply above 11 kV	Rs. 360 / kVA / month
	Energy Charge for Supply above 11 kV	Rs. 7.50 / kVAh
HV-2	**LARGE AND HEAVY POWER**	
(A)	**Urban Schedule (Base Rate & TOD)**	
1.	**For supply up to 11 kV**	
	Demand Charges	Rs. 300 / kVA / month
	Energy Charge	Rs. 7.10/ kVAh
2.	**For supply above 11 kV and upto 66 kV**	
	Demand Charges	Rs. 290 / kVA / month
	Energy Charge	Rs. 6.80 / kVAh
3.	**For supply above 66 kV and upto 132 kV**	
	Demand Charges	Rs.270 / kVA / month
	Energy Charge	Rs. 6.40/ kVAh
4.	**For supply above 132 kV**	
	Demand Charges	Rs. 270 / kVA / month
	Energy Charge	Rs. 6.10 / kVAh
	ToD Structure	
	Summer Months (April to September)	
	05:00 hrs-10:00 hrs	(-) 15%
	10:00 hrs-19:00 hrs	0%
	19:00 hrs-03:00 hrs	(+)15%
	03:00 hrs-05:00 hrs	0%

Cont:……6/-

	Winter Months (October to March)	
	05:00 hrs-11:00 hrs	0%
	11:00 hrs-17:00 hrs	0%
	17:00 hrs-23:00 hrs	(+)15%
	23:00 hrs-05:00 hrs	(-)15%
(B)	**Rural Schedule:**	
	This Schedule shall be applicable only to consumers getting supply upto 11 kV as per "Rural Schedule". The consumers under this category shall be entitled to a rebate of 7.5% on Base Rate as given for 11kV consumers under urban schedule. Further, no "TOD RATE" shall be applicable for this category.	
HV-3	**RAILWAY TRACTION & METRO RAIL**	
A	**RAILWAY TRACTION:**	
	Demand Charges	Rs. 400 / kVA / month
	Energy Charge	Rs. 8.50 / kVAh
	Minimum Charges	Rs. 950 / kVA / month
B	**METRO RAIL CORPORATION AND REGIONAL RAPID TRANSIT SYSTEM:**	
	Demand Charges	Rs. 300/ kVA / month
	Energy Charge	Rs. 7.30 / kVAh
	Minimum Charges	Rs. 900 / kVA / month
	Penalty @ Rs. 540.00 / kVA / month will be charged on excess demand if maximum demand exceeds contracted load.	
HV-4	**LIFT IRRIGATION WORKS**	
(a)	**Demand Charges**	
	For Supply at 11 kV	Rs. 350 / kVA / month
	For Supply above 11 kV upto 66 kV	Rs. 340 / kVA / month
	For Supply above 66 kV upto 132 kV	Rs. 330 / kVA / month
(b)	**Energy Charge**	
	For Supply at 11 kV	Rs. 8.50 / kVAh
	For Supply above 11 kV upto 66 kV	Rs. 8.40/ kVAh
	For Supply above 66 kV upto 132 kV	Rs. 8.25 / kVAh
(c)	**Minimum Charge**	Rs. 1125/ kVA / month

The Above Rate and Charges as approved by U.P. Electricity Regulatory Commission shall be in force after 7 days from this publication in all state owned Distribution licensees. The approved Tariff/Rate Schedule are also available at the website of all Distribution licensees (www.puvvnl.up.nic.in, www.mvvnl.in, www.dvvnl.org, www.pvvnl.org & www.kesco.co.in) and U.P. Power Corporation Ltd. at www.uppcl.org.

Chairman
(PuVVNL, MVVNL, DVVNL, PVVNL, KESCO)

" Save electricity in the interest of Nation"